एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3682/2007
विशम्भरदयाल व अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यु व अन्य

18.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री वी.एस.यादव, अधिवक्ता याचीगण की ओर से।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

इस याचिका के माध्यम से याचीगण ने राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.9.2006 को चुनौती दी है। उक्त आदेश से राजस्व मण्डल ने अयाची संख्या 3 द्वारा सहायक कलेक्टर, बहरोड़ के निर्णय 28.2.2003 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी निगरानी को अंशत: स्वीकार किया था। उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विशम्भरदयाल एवं राजेन्द्रप्रसाद के द्वारा प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार, परमानन्द चेला भानीदास एवं रामरतनदास को मूर्ति मंदिर श्री बिहारीजी महाराज नेक्स्ट फ्रेण्ड एवं पुजारी बताते हुए पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 दीवानी प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया था जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.2.2003 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि वाद में रामरतन पूर्व से ही प्रतिवादी है। राजस्व मण्डल ने प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त यह उचित समझा है कि चूंकि सम्पत्ति, जिसके बाबत विवाद उठाया गया था, मूर्ति मंदिर बिहारीजी महाराज की थी, अत: मूर्ति मंदिर बिहारीजी महाराज को जरिये देवस्थान विभाग पक्षकार बनाया जावे एवं रामरतन, जो कि पहले से ही पक्षकार है, को मंदिर का पुजारी होने अथवा न्यायमित्र होने की अनुमति नहीं दी गयी।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व मण्डल ने अपने अधिकारक्षेत्र से परे जाकर देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाये जाने का निर्देश दिया है, ऐसा आग्रह किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं किया गया था। उनका यह भी कथन है कि आवेदनपत्र मात्र इस बाबत था कि आया

रामरतन चेला भगवानदास को पुजारी एवं न्यायमित्र की हैसियत से पक्षकार बनाया जावे अथवा नहीं। ऐसी परिस्थिति में राजस्व मण्डल देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाने का निर्देश विधि अनुसार नहीं दे सकता था।

आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन करने के पश्चात मैं यह पाता हूं कि यघपि यह विवादित है कि सम्पत्ति मंदिर की है अथवा भानीदास की निजी सम्पत्ति है, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि दो भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने आपको मंदिर का पुजारी होना तथा उस आधार पर सम्पित्त को अपनी होना बताते हैं, ऐसी परिस्थिति में देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाया जाता है तो उसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं मानी जा सकती क्योंकि यदि सम्पत्ति उनमें से किसी की निजी सम्पत्ति नहीं मानी जाकर मंदिर की सम्पत्ति होना प्रमाणित होता है तो देवस्थान विभाग ही उसके बारे में न्यायालय के समक्ष सही रुप से चाराजोही कर सकता है।

मैं आक्षेपित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं पाता हूं। अत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति